भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3493
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई

3493. डॉ. भोला सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है;
(ख) क्या नाबालिग लड़कियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नए आपराधिक कानून में कोई विशेष प्रावधान किया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में, पहली बार, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय के अंतर्गत शामिल किया गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए मृत्युदंड तक की कड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के नाम पर अथवा पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाने आदि को भी बीएनएस में एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): सरकार मानव अवैध व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएनएस, 2023 की धारा 143 में मानव अवैध व्यापार के अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा के दंडात्मक प्रावधान हैं। अपराध में किसी बच्चे का अवैध व्यापार होने की स्थिति में कम से कम 10

वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। 'भिक्षावृत्ति' को अवैध व्यापार के लिए शोषण के एक प्रकार के रूप में शामिल किया गया है और बीएनएस, 2023 की धारा 143 के तहत इसे दंडनीय बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बीएनएस की धारा 144 (1) में अवैध व्यापार किए गए बच्चों के यौन शोषण से संबंधित अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम सजा पांच वर्ष है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

****

लोक सभा अता.प्र.सं. 3493, दिनांक 17.12.2024

<u>अनुलग्नक. पृष्ठ-1</u>

महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान

i. बीएनएस के नये अध्याय–V में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को अन्य सभी अपराधों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

ii. लिंग भेद किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल करते हुए महिलाओं और बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों को बीएनएस में जेंडर-न्यूट्रल बना दिया गया है।

iii. बीएनएस में, सामूहिक बलात्कार के अवयस्क पीड़ितों के लिए उम्र संबंधी अंतर को हटा दिया गया है। इससे पूर्व 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया था। इस प्रावधान में संशोधन कर दिया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

iv. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर समन प्राप्त कर सकती है, जिसे समन भेजा गया है। 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' से संबंधित पूर्ववर्ती संदर्भ को बदलकर 'किसी वयस्क सदस्य' कर दिया गया है।

v. पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी अपराध की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीड़ित के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

vi. महिलाओं के प्रति कुछ विशेष अपराधों के मामले में, पीड़ित का बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

vii. चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बलात्कार के किसी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपेगें।

viii. यह प्रावधान किया गया है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति अथवा महिला रहती है। उन मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए राजी हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

ix. नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुँच सुनिश्चित करता है।

****